

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
आरोपी प्रदीप कुमार पूर्व से अनुपस्थित।
प्रकरण आज आरोपी प्रदीप की उपस्थिति हेतु नियत है।
आरोपी प्रदीप की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी
वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि
आरोपी प्रदीप कुमार अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक :
28/09/2015 से निरन्तर अनुपस्थित है। जिससे यह दर्शित
होता है कि आरोपी प्रदीप कुमार अपनी उपस्थिति छुपाने के
लिए फरार हो गया है और उसके निकट भविष्य में मिलने की
कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी प्रदीप
कुमार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट
जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी प्रदीप कुमार की उपस्थिति के स्थाई
वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी प्रदीप कुमार के उपस्थित होने तक
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण
व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया
जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये
कि प्रकरण में आरोपी प्रदीप कुमार फरार है, इसलिए अभिलेख
सुरक्षित रखा जाये।

पंकज शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद